उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

संख्या-57/2021/954/52-1-2021-20(पी0एम0जे0वी0के0)/20

लखनऊ : दिनांक 30 जुलाई, 2021

शुद्धि-पत्र

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-55/2021/876/52-1-2021-20(पी0एम0जे0वी0के0)/20 दिनांक 15.07.2021 के पैरा-3 में उल्लिखित आई0टी0आई0 परियोजनाओं के कॉलम संख्या-14 में प्राविधानित बजट रू0 5120.00 लाख के स्थान पर त्रुटिवश रू0 8000.00 लाख अंकित हो गया है।

अत: कृपया पैरा-3 में उल्लिखित आई0टी0आई0 परियोजनाओं के कॉलम संख्या-14 में प्राविधानित बजट रू0 8000.00 लाख के स्थान पर रू0 5120.00 लाख पढ़ा जाये ।

2.- अत: उक्त शासनादेश संख्या-55/2021/876/52-1-2021-20(पी0एम0जे0वी0के0) /20 दिनांक 15.07.2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा शेष निर्देश/शर्ते यथावत रहेगें ।

(डी0एस0 उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या-954(1)/बावन-1-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, सम्बन्धित विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बन्धित परियोजना के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8- निदेशक, परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग, लखनऊ ।
9- प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत निर्माण कार्य को समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने हेतु ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

11- सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय सेप्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इच्छाराम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in